International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 27-07-2020; Accepted: 12-08-2020; Published: 28-08-2020
www.socialsciencejournal.in
Volume 6; Issue 4; 2020; Page No. 142-146

भारत में शिक्षा व्यवस्थाः एक ऐतिहासिक विष्लेष्ण

वर्षा मोहर
शोधर्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

प्रस्तावना

नई राष्ट्रीय षिक्षा नीति 2020 में षिक्षा व्यवस्था में कई परिर्वतन किए गए है। प्राथमिक प्राथमिक के क्षेत्र में इसमें कई अमूलचूर बदलाव किए गए है परिर्वतन । जैसे अब प्राथमिक प्राथमिक की परिधि में 3 से 18 साल के बच्चों को षामिल करने की बात इस षिक्षा नीति में की गई है। इसमें प्राथमिक षिक्षा मुख्यतः पांचवी कक्षा तक निष्चित रूप से, 8वीं तक वरीयता के आधार पर और उसके बाद ऐच्छिक आधार पर मातृभाषा में षिक्षा देने की बात पर जोर दिया गया है। भारत में षिक्षा व्यवस्था में परिर्वतन कोई नया नहीं। समय–समय पर इसमें परिर्वतन होता रहा है। प्रस्तुत लेख भारत में शिक्षा के विकास पर प्रकाष डालता है।

किसी भी देश अथवा समाज का भविष्य कैसा होगा यह उस राष्ट्र के बच्चों के पालन पोषण एवं विकास पर निर्भर करता है। जिसमें शिक्षा विशेषतः प्राथमिक शिक्षा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों का जीवन पूरी तरह से पारिवारिक माहौल, सामाजिक परिवेश और प्राथमिक शिक्षा पर निर्भर करता है और इसी के आधार पर उनकी मानसिकता, सोच, विचार एवं विवेकशीलता का भी विकास होता है। इसी कारण बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना अति आवश्यक हो जाता है। किन्तु हमारे देश का यह दुर्भाग्य यह है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास एवम् राष्ट्र की दशा एवम् दिशा निर्धारित करने वाली प्राथमिक शिक्षा की अनदेखी सदैव होती रही है। ये अनदेखी तीनों स्तरों पर है शासक वर्ग, शिक्षक यहाँ तक कि अभिभावक भी प्राथमिक शिक्षा के महत्त्व को बच्चों के विकास के लिए कमतर समझते हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की पैरवी करता है। परंतु शिक्षा के नाम पर बच्चों पर बस्तों का बोझ बढ़ता जा रहा है। आज शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य अच्छे अंक प्राप्त करना एवम् अधिक से अधिक धन अर्जन करना है। इस शिक्षा व्यवस्था में बच्चों के चरित्र निर्माण, सामाजिक उत्तरदायित्व एवम् बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक होने का महत्व से भी कोसो दूर रहना पड़ता है।

प्रस्तुत लेख भारत में शिक्षा के विकास पर प्रकाष डालता है। भारत में शिक्षा के महत्त्व को समझने का प्रयास बहुत से विचारकों के द्वारा किया गया है किन्तु शिक्षा की आवश्यकता आधुनिक युग में नये विचारों के अंतर्गत कुछ अलग ही प्रकार से समझा जाता है। शिक्षा मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों को स्थापित कर एक उचित मार्ग दर्शन प्रदान करती है यह बच्चों में कुशल व्यवहारों, रुचिकर कार्यों, समझने की क्षमताओं को बढ़ावा प्रदान करती है।

जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं, शिक्षा में वह सब कुछ शामिल है, जो हम और दूसरे लोग अपने स्वभाव में पूर्णता लाने के लिए करते हैं जिस व्यापक अर्थ में इसे लिया जाता है उसमें मनुष्य के चरित्र और नैसर्गिक शक्तियों पर पड़ने वाले अप्रत्यक्ष प्रभाव भी शामिल हैं। जैसे कानून, शासन का स्वरूप, औद्योगिक शिल्प और जलवायु, मिट्टी इत्यादि मानवेतर भौतिक कारक और स्थानीय परिस्थिति।

कांट के अनुसार, शिक्षा का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति में पूर्णता का विकास करना है, जिसकी सिद्धि की क्षमता उसमें विद्यमान होती है, मगर इस पूर्णता का अभिप्राय क्या हो सकता है? जैसा कि अक्सर कहा जाता है मनुष्य की सभी नैसर्गिक शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा का लक्ष्य है। वही उपयोगितावाद के अनुसार, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अपने और समाज के लिए सुख का माध्यम बनाना है।

भारतीय योजना आयोग ने अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961–62 के प्रारूप में शिक्षा के बारे में कहा था कि वह द्रुत आर्थिक विकास और प्रौद्योगिक प्रगति प्राप्त करने और ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने में एक अकेला सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। इसके लिए आवष्यक है कि षिक्षा स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और समान अवसर के मूल्यों पर आधारित हो। इसके लिए गठित शिक्षा आयोग 1964–66 ने एक रिर्पोट पेश की जिसका शीर्षक बड़ा ही आकर्षक था। शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। यह रिर्पोट भी जोरदार ढंग से एक विशाल पैमाने पर बदलाव लाने की बात करते हुए कहती है कि इसके लिए सिर्फ एक ही जरिया जो काम में आ सकता है वह है शिक्षा। शिक्षा आयोग का यह भी मानना था कि असल में हमें शिक्षा में क्रांति लाने की जरूरत है, जो बदले में अपेक्षित सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक क्रांति का सूत्रापात करे इस तरह यह अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के बीच एक संबंध विद्यमान है।

वैदिक युग में शिक्षा

भारत में शिक्षा की शुरुआत वैदिक काल से हुई जब भारत में वेदों पर आधारित गुरुकुल शिक्षा की शुरू हुई। वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति था। जहाँ शिक्षा आत्मानुभूति व आत्म बोध कराती है। वैदिक काल में प्रारम्भिक शिक्षा की शुरुआत बच्चे की 5 वर्ष की आयु से होता एवम्, उच्च शिक्षा की शुरुआत 8–12 वर्ष की आयु से होती है जहाँ पर केवल शिक्षा गुरुकुल व्यवस्था में ही दी जाती थी।

बौद्ध युग में शिक्षा व्यवस्था

जब कोई विचारधारा किसी एक सीमा को पार कर जाती है तो उसी दौरान उस विचारधारा को तोड़ने के लिए नई विचारधारा का उद्भव होता है। यह तब हुआ जब भारत में वैदिक काल के दौरान जाति वर्ण व्यवस्था का भयानक स्वरूप चरम् पर आ गया और इसी काल के दौरान महात्मा बौद्ध के द्वारा 500 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व के दौरान बौद्ध धर्म ने वैदिक काल की जगह ली। यहाँ पर बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप से लगभग मिलता जुलता रहा जहाँ वैदिक काल में शिक्षा आध्यात्मिक स्वरूप पर आधारित थी, वही दूसरी तरफ बौद्ध काल में शिक्षा का उद्देश्य दुखों से मुक्ति पाने के मार्ग के रूप में देखा गया। हालांकि यहाँ शिक्षा पूरी तरह से अष्टांग मार्ग की प्राप्ति ही अपना उद्देश्य मानती है। परन्तु इस बौद्ध धर्म में एक चीज बहुत

ही अच्छी रही और वह थी कि यहाँ पर न ही वर्ण व्यवस्था थी न ही कोई जाति व्यवस्था सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था और समानता को अधिक महत्व दिया गया।

मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासन युग में शिक्षा

भारत में मुसलमानों का पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया गया तथा 1026 ईस्वी तक 17 बार भारत में बाहरी आक्रमण हो चुके थे। भारत में लगभग 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक मुस्लिम शासकों का वर्चस्व रहा इसी कारण इस काल को मध्य काल भी कहा जाता है। भारत में अब नई शिक्षा नीति की शुरूआत हुई जिसमें इस्लाम शिक्षा व अरबी व फारसी भाषाओं की शिक्षा का प्रचलन शुरू हुआ।

पुर्तगालियों का आगमन व शिक्षा

पुर्तगाली ईसाई मिशनरी थे जो अपने शासन के साथ–साथ भारत में ईसाई धर्म का भी प्रचार व प्रसार करना चाहते थे। इन्होंने भारत में कुछ स्थानों पर शैक्षिक केन्द्रों की भी स्थापना की एवम् इनके दो प्रमुख व्यक्ति– सैन्ट फ्रांन्सिस जैवियर एवम् राबर्ड डी. नोविली ने भारत में घूम–घूम कर ईसाई धर्म का प्रचार किया। इनके द्वारा भारत में पहली बार विदेशी भाषा पर आधारित प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की जिसमें वह पुर्तगाली भाषा पर आधारित एवम् स्थानीय भाषा पर आधारित शिक्षा दिया करते थें साथ ही वह गणित की भी शिक्षा देते। इसके उपरान्त भारत में एक अन्य मिशनरी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए जो भारत में उपनिवेश बनाने के लिए भी प्रेरित थे।

डच का आगमन व शिक्षा

डच का आगमन भारत में 17वीं शताब्दी के मध्य के दौरान हुआ जो मूल रूप से हालैण्ड से थे इनके द्वारा भारत के जो समुद्र के किनारों वाले क्षेत्र थे उन पर इन्होंने अपने व्यापारिक केन्द्रों की स्थापना की साथ ही यह इन कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालयों को खोला जहाँ ईसाई शिक्षा दी जाती थी।

फ्रांसीसी ईसाई मिशनियों का आगमन व शिक्षा

1667 ईस्वी में फ्रांस से आए व्यापारियों का आगमन हुआ यह अपने साथ पादरी लेकर आए जिनका कार्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर भारत में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों ईसाई बनाना था इन्होंने अपने कारखानों के पास में ही प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जहाँ पर शिक्षा के रूप में ईसाई कैथोलिक धर्म की शिक्षा को अनिवार्य रखा गया। इसके उपरान्त भारत में एक नए व्यापारिक वर्ग का आगमन हुआ जो भारत में अपना शासन पूरी तरह से चला पाए और भारत में इनका आगमन आधुनिक युग से भारत का परिचय करवाने में कारगर साबित हुआ।

अंग्रेज ईसाई मिशनरियों का आगमन व भारतीय शिक्षा

भारत में अंग्रेजी मिशनरियों का आगमन हालांकि मुस्लिम शासन के दौरान ही शुरू हो गया था किन्तु इनका मूल आगमन 1600 ईस्वी में हुआ जो भारत में 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' के साथ भारत में आए। यदि अवलोकन किया जाए तो पाते हे कि भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरूआत 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा प्रारम्भ कर दी गई किन्तु इसको मजबूत करने का पूरा श्रेय अंग्रेजों को जाता है जिन्होंने 1613 ईस्वी से इसको लगातार प्रचार प्रसार कर मजबूत बनाया।

अंग्रेजी शासन काल में प्राथमिक शिक्षा

1600 ईस्वी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत में सूरत में अपना पहला व्यापारिक केन्द्र खोला इसके उपरान्त भारत में बम्बई, कलकत्ता एवम् मद्रास अलग–अलग जगहों पर अपने व्यापारिक केन्द्रों को खोला इनमें एक विशेष बात यह थी कि यहाँ पर भारत में अंग्रेजी कारखानों में काम करने वाले मजदूर के बच्चों को ईसाई पादरियों के द्वारा शिक्षा दी जा रही थी। 1668 में ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को एक नया आज्ञा पत्र जारी किया जिसमें कम्पनी को अपनी छावनी में पादरी रखने व विद्यालय चलाने की आज्ञा प्रदान की।

1857 का प्लासी का युद्ध एवम् 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को जीत प्राप्त हुई जिस कारण भारत के बंगाल, बिहार व अवध में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का वर्चस्व स्थापित हो गया। 1793 ईस्वी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का एक और आज्ञा पत्र पार्लियामेंट में पेश हुआ जिसमें निर्णय लिया गया कि भारतीयों को उपयोगी ज्ञान व नैतिक शिक्षा व साहित्य की शिक्षा दी जायेगी। इसी दौरान भारत में अपनी शिक्षा संस्थाये खोली गई जिनमें 1781 में कलकत्ता मदरसा, 1791 में बनारस संस्कृत कालेज तथा 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई।

18 जून 1834 को लार्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउन्सिल का कानूनी सलाहकार बनकर भारत आए। उन्हें भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। 1834 को मैकाले भारत में गवर्नर जनरल की काउन्सिल का सदस्य बनकर आए और वह शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रभावी ''जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन'' का अध्यक्ष बना दिया गया। 1835 में मैकाले ने गवर्नर जनरल की कॉउन्सिल के सम्मुख अपना प्रसिद्ध ''विवरण पत्र (Minute) रखा, जिसे मान लिया गया। 17 मार्च 1835 को लार्ड विलियम बैंटिक ने जो कि भारत के गर्वर जनरल थे इस सिफारिश को माना और अंग्रेजी शिक्षा का भारत में श्री गणेश हुआ।

मैकाले के द्वारा कहे इन शब्दों से यही ज्ञात होता है कि भारत में अंग्रेज अपना शासन को मजबूती से लागू करना चाहते थे। भारत में शिक्षा व्यवस्था की स्थापना के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हो सकते हैं।

1. भारतवासी रंग–रूप में हिन्दुस्तानी होते हुए भी अंग्रेजों के आचार–विचार, चिंतन तथा रूचियों को अपना ले जिससे ईसाई धर्म का प्रचार हो सके।
2. भारत में एक ऐसी श्रेणी या श्रेणियों का निर्माण हो जो अंग्रेजी शासन के प्रति पूरी तरह से वफादार हो।
3. बढ़ते हुए अंग्रेजी साम्राज्य के प्रशासन में शिक्षित लोग उनका प्रशासन प्रक्रिया में हाथ बटाएँ या सहयोग कर सके।
4. अंग्रेजी भाषा से भारत में ऐसे वर्ग का निर्माण होगा जो कि शासक व जनता के मध्य सन्देशवाहक का कार्य करेगा।
5. अंग्रेजी साहित्य व भाषा से भारत में शासन करने में आसानी होगी।
6. इससे कनिष्ठ पदों में कार्य करने के लिए भारतीयों को सहायता मिलेगी।

चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 1854 एवम् शिक्षा नीति

1859 में स्टेनले का प्रेषण–डिस्पैच आता है जिसमें प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया। जिसमें उसने कुछ निम्न सुझावों को दियाः–

- सरकार को प्राथमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व को स्वीकार करे।

- प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध स्थानीय संस्थाओं के हाथ में दे दिया जाए।
- इसके प्रसार के लिए आवश्यकता के अनुसार शिक्षा पर कर लगाया जाए।

1857 में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़कर 16,473 हो गई जिसमें 6,07,620 छात्रा पढ़ते थे। 1882 में विद्यालयों की संख्या बढ़कर 82,916 हो गई और छात्रों की संख्या बढ़कर 20,61,541 तक पहुँच गई। 1882 का भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग 1882 में मिशनरी लोगों के आरोपों की जांच करने के लिए हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। जिसमें सिफारिशें की गई कि प्राथमिक शिक्षा को जनोपयोगी बनाने और नीचे के पदों पर ऐसे लोगों की नियुक्ति करने, देश, भाषा के माध्यम से शिक्षा देने, इसे स्थानीय संस्थाओं को सौंपने की बात कही गई। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यवहारिक विषयों को भी स्थान दिया जाए। प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में कम से कम एक नार्मल स्कूल की स्थापना की जाए। आयोग ने विशेष रूप से हरिजनों, पिछड़ी जातियों और आदिवासियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया।

1904 में लार्ड कर्जन का शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव

लार्ड कर्जन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा के सुधार व विस्तार में विशेष रूप से ध्यान दिया। लार्ड कर्जन ने स्थानीय संस्थाओं तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं की सहायता के लिए 35 लाख अनुदान में दिये। लार्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तर पर अध्यापकों के प्रशिक्षण की सिफारिश की। इसमें विशेष रूप से यही कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा पर व्यय प्रांतीय राजस्व पर एक प्रमुख भार समझा गया।

गोपाल कृष्ण गोखले का शिक्षा संबंधी बिल 1910–11

1990 में गोखले ने इम्पीरियल कौसिल में प्रस्ताव रखा कि प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाया जाए। इसका प्रस्ताव 1911 में फिर से गोखले ने रखा, परन्तु यह प्रस्ताव भी अस्वीकार हो गया। फिर भी सरकार तथा जनता ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल देना शुरू किया। इस विधेयक में निम्न बातों का वर्णन मिलता है।

1. यह विधेयक उन्हीं क्षेत्रों में लागू किया जाये जहाँ कि बालक व बालिकाएँ का एक निश्चित प्रतिशत प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करता है।
2. स्थानीय संस्थाओं को अधिकार दिया गया है कि वे प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् अपने क्षेत्रों में यह योजना लागू करे।
3. स्थानीय संस्थाओं को यह अधिकार दिया जाये कि वे योजना को कार्यान्वित करने के लिए शिक्षा कर भी लगाये।
4. अभिभावकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने 6–10 वर्ष के बालकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने भेजे, यदि वे इस नियम का उल्लंघन करे तो उन्हें दंडित किया जाए।
5. प्रान्तीय सरकार स्थानीय संस्थाओं को पूरे व्यय का 2/3 भाग दे बाकि का 1/3 व्यय स्थानीय संस्थाओं स्वयं वहन करे।
6. प्रारम्भ में यह योजना बालकों पर लागू कि जाये किन्तु कालान्तर में इसे बालिकाओं पर भी लागू किया जाये।

अन्त में यह विधेयक 17 मार्च 1912 को सभा के सम्मुख बहस के लिए प्रस्तुत किया गया। इस पर जब मतदान किया गया तो यह विधेयक 38 के विरूद्ध 13 मतों से अस्वीकृत कर दिया गया।

हर्टाग कमेटी 1929

1929 में साईमन कमीशन ने सर फिलिप हर्टाग की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा की जांच करने के लिए एक सहायक समिति का निर्माण किया। इस कमेटी ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की आलोचना की और शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की ओर शिक्षा शास्त्रीयों का ध्यान आकर्षित किया। इस कमेटी ने अधिक विस्तार की अपेक्षा शिक्षा के गुणात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया। 1937 में प्रादेशिक सरकारों की स्थापना हो गई तथा प्रान्तीय स्वशासन की नींव रखी गई। इसी समय 1937 में महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का विचार रखा किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के कारण शिक्षा का विकास रुक गया।

एबडबुड रिपोर्ट 1936–37

इस रिपोर्ट में संस्तुति की गई कि प्राथमिक शिक्षा जहाँ तक संभव हो मातृभाषा में दी जाए और पाठ्यक्रम स्थानीय वातावरण पर आधारित हो। जून 1937 में रिपोर्ट तैयार कर अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रेषित किया यह रिपोर्ट 2 भागों में विभक्त थी। जिसमें वुड द्वारा लिखित ''सामान्य शिक्षा एवं प्रशासन'' तथा ऐबट द्वारा लिखित ''व्यावसायिक शिक्षा''। इस रिपोर्ट का शीर्षक ''वोकेशनल एजुकेशन इन इण्डिया विद ए सेक्शन और जनरल एजुकेशन एवं एडमिनिस्ट्रेशन था।

बुनियादी शिक्षा अथवा नई तालिम 1937

22–23 अक्टूबर 1937 में गुजरात के वर्धा नामक स्थान पर मारवड़ी शिक्षा मण्डल की जयन्ती बनाई गई इसमें महात्मा गांधी को सम्मेलन का सभापति नियुक्त किया गया जिसे अखिल ''भारतीय शिक्षा सम्मेलन'' तथा वर्धा सम्मेलन कहा गया। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा पर अपने विचारों को प्रकट किया गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में मूल बातों का अनुसरण किया:–

- 7–14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
- यह शिक्षा सभी के लिए समान हो।
- यह शिक्षा ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
- प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।
- शिक्षा को स्वावलम्बी बनाया जाय।

गांधी जी ने इस बात पर अधिक बल दिया कि शिक्षा में हस्तकौशलों को शामिल किया जाय। जिससे स्कूल में होने वाले उत्पाद से शिक्षा का खर्च चल सके।

सारजेन्ट रिपोर्ट 1944

इस रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए जिन विकास के चिन्हों को अपनाया गया वह थे:–

- 6 से 14 वर्ष की आयु के बालको के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा हो जिसका स्वरूप बुनियादी शिक्षा होना चाहिए।
- अधिक संख्या में अधिकारी प्रशिक्षण के लिए रखे जाएँ।
- बुनियादी शिक्षा के जूनियर बेसिक तथा सीनियर बेसिक दो भागों में बाँटा जाए।
- मातृभाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए।
- प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति पर विशेष बल दिया जाए।

स्वतंत्रता के उपरान्त 1947 से 1966 के बीच प्राथमिक शिक्षा

भारतीय संविधान में प्राथमिक शिक्षा 1950

भारतीय संविधान अनुच्छेद 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्य इस प्रकार रहा–

''राज्य 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावाधन संविधान लागू होने पर 10 वर्ष के भीतर करेंगे''

इसमें तीन बातें जो ध्यान देने वाली है

- राज्य का अर्थ केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों दोनों से है।
- इसमें ''प्राथमिक शिक्षा'' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया।
- इसमें शिक्षा के वर्षों की अवधि का भी उल्लेख नहीं है।

माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952–53 तथा प्राथमिक शिक्षा

इस आयोग का मूल उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप को दिखलाना रहा किन्तु इसमें प्राथमिक शिक्षा पर भी अपने सुझावों को रखाः–

- बेसिक शिक्षा प्रणाली के सिद्धान्तों को अपनाया जाए।
- मिडिल अथवा जूनियर माध्यमिक अथवा सीनियर बेसिक स्तर तीन वर्ष का होना चाहिए। इस स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों की आयु सामान्यताः 11–14 वर्ष हो।
- कक्षा 1 से कक्षा 8 तक शिक्षा पूरक हो।
- शिक्षण विधियाँ क्रियाओं पर आधारित हो।
- मिडिल स्तर की शिक्षा सामान्य शिक्षा है, किसी प्रकार का विशेषीकरण नहीं।

शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन 1964

शिक्षा आयोग की अध्यक्षता डॉ. डी.एस. कोठारी ने की थी जो उस दौरान यू.जी.सी. के अध्यक्ष रहे थे आयोग ने निरीक्षण, साक्षात्कार व प्रश्नावली विधि के द्वारा शिक्षा में व्याप्त दोषों का पता लगाया तथा आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को सरकार को सौंप दी। इनमें कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार थीः–

- सम्पूर्ण शिक्षा की संरचना
- पुनर्गठन
- शिक्षक शिक्षा
- स्त्री शिक्षा
- व्यावसायिक शिक्षा
- कृषि तकनीकी शिक्षा

प्राईमरी शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को उपयोगी नागरिक बनाने तथा उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्ति निर्माण करना है। इस आयोग ने जिन सुझावों को दिया वह थे प्राथमिक स्तर परः–

- 1986 तक 7 वर्ष की शिक्षा हर बच्चे के लिए हो।
- कक्षा 1 से 7 तक अपव्यय बहुत कम हो 1890 से अधिक सफलता हो।
- हर राज्य को प्राइमरी शिक्षा के विकास की योजनाएं बनानी चाहिए।
- प्राइमरी स्कूल हर बच्चे को 1 मील के अन्दर ही मिलना चाहिए।
- पहली कक्षा में 5 से 7 वर्ष तक के बालक लिये जाएँ।
- पहले ही स्कूल में नाम लिखाने की प्राणली लागू की जाए।

इस आयोग की सिफारिशों पर बहुत अधिक दोष को भी देखा गया

- आयोग ने शिक्षा के लिए अस्पष्ट प्रशासन बनाया, एक ओर केन्द्र सरकार को शिक्षा नीति व योजना बनाने का अधिकार दिया दूसरी ओर राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकतानुसार शैक्षिक नियोजन को अधिकार दे दिया।
- शिक्षा पर 6 प्रतिषत व्यय करने की बात तो उचित है लेकिन स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि केन्द्र व राज्य के व्यय सम्बन्धी उत्तरदायित्व क्या होने चाहिए।
- प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन का सुझाव दिया है एक तरफ प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं हो पा रहा है वहाँ व्यावसायिक निर्देशन किस प्रकार किया जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968

कोठारी शिक्षा आयोग 1964–66 की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात् भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसके अनुसार, शिक्षा के सभी स्तरों तथा पेशो को कार्य करने के दिशा–निर्देश निर्धारित किए गए। प्राथमिक स्तर पर बल दिया गया, जिसके अनुसार अनुच्छेद 45 के लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए योजना बनाई गई। साथ ही यह भी कहा गया कि बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किये जाने चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

इस षिक्षा नीति में षिक्षा के सार्वभौमिक करण की बात की गई। इस हेतु ऑपरेषन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया। षिक्षा की गुणवता पर ध्यान देने के साथ–साथ आने वाले 10 सालों में 7 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य षिक्षा की ओर ध्यान केंद्रित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण षिक्षा के जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई।

2001–93वाँ संविधान संशोधन बिल

2001 में भारत सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक और अनूठा योगदान दिया गया वह शिक्षा के अधिकार को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान करना। 27 नवम्बर 2001 को लोकसभा में 93वा संशोधन बिल पेश किया गया जिसके अनुसार, राज्य अनुछेद 21 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। किन्तु इस अधिकार को बनाने के उपरान्त भी भारत में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में विस्तार के लिए क्या इन महत्वपूर्ण कार्य को इस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है।

नई शिक्षा नीति 2020

34 सालों के लंबे अंतराल के बाद नई षिक्षा नीति की घोषणा की गई। प्राथमिक षिक्षा पर इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। इसके कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैंः–

1. षिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा षिक्षा प्राप्ति का लाभ 6 से 14 साल तक के बच्चों को दिया गया था। इसके लाभ की परिधि में 3 से 18 साल के बच्चों को षामिल करने की बात इस षिक्षा नीति में की गई है।
2. इसमें प्राथमिक षिक्षा मुख्यतः पांचवी कक्षा तक निष्चित रूप से, 8वीं तक वरीयता के आधार पर और उसके बाद ऐच्छिक आधार पर मातृभाषा में षिक्षा देने की बात पर जोर दिया गया है।
3. षिक्षा निरस न हो इसके लिए खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम षिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया जाए।
4. इस षिक्षा नीति में अर्ली चाइल्ड हुड केयर षिक्षा में 3साल के बच्चों को षिक्षा देने की बात कही गई है। इसमें षिक्षा के साथ–साथ बच्चों के पोषण की ओर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके लिए मिड डे मिल के साथ नाष्ते की भी बात की गई है।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, जे.सी., 'भारत में प्राथमिक शिक्षा', विद्या विहार प्रकाशन, दरियागंज , 2010, नई दिल्ली।
2. उपाध्याय , रमेश, 'शिक्षा और भूमंडलीकरण', शब्द संधन प्रकाशन, 2008, नई दिल्ली
3. कुमार कृष्ण और सुरेष चंद्र षुक्ल, षिक्षा के समाजषास्त्रीय संदर्भ, ग्रंथ षिल्पी, 2008, दिल्ली । सोराडी दीप चंद, माध्यमिक षिक्षा और विद्यालय प्रबंधन, बालाजी पब्लिकेषन, 2010,बल्लमगढ़ हरियाणा।
4. गोखले का विधेयक, भारतीय प्राथमिक षिक्षा के संदर्भ में, 6 मार्च 1911
5. मानव संसाधन विकास मंत्रालय. नई षिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार,।
6. दत्त, रूद्र, 2009, 'विकास गरीबी और समता ;भारत के आर्थिक ए वं सामाजिक
7. विकास की कहानीद्ध रिगल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
8. रामपाल, अनीता, 2008, 'शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य है मानवीय विकास ' से 'शिक्षा
9- और भूमंडलीकरण', शब्द संधन प्रकाशन, नई दिल्ली।